उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1980)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1981
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1984
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1984
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1985
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1986
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1986
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1987
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1988
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1989
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05, 1990
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1991
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1992
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1994
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 1997
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, 1997
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1998
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1998
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 2000
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 2000
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 2004
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 2005
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 07, 2006
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 2007
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, 2007
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 2008
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 09, 2010
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2013
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2015
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 2016
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 2020
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02, 2023

द्वारा संशोधित

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन और भत्तों के भुगतान, और अन्य सुविधाओं से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा। (2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।
परिभाषाएं	2.	(क) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है ; (ख) "सभापति" का तात्पर्य परिषद् के सभापति से है ; (ग) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है ; (घ) "उप सभापति" का तात्पर्य परिषद् के उप सभापति से है ; (ङ) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य सभा के उपाध्यक्ष से है ; (च) किसी सदस्य के संबंध में, "सदस्यता की अवधि" का तात्पर्य-- (एक) यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के दिनांक से इनमें जो भी पहले हो, प्रारम्भ होने वाली, और (दो) उस दिनांक को, जब वह मृत्यु या पद-त्याग के कारण या अन्यथा ऐसा सदस्य न रह जाय, समाप्त होने वाली अवधि से है ; (छ) "आनुषंगिक व्यय" का तात्पर्य-- (एक) रेल द्वारा की गयी यात्रा की दशा में एक व्यक्ति के लिए [1][वातानुकूलित टू-टायर], में ऐसी यात्रा के रेल किराये के बराबर धनराशि से है ; (दो) किसी अन्य दशा में विहित दर से, इस रूप में, देय धनराशि से है ; (ज) "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है जिसे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो ; (झ) "सदस्य" का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है जो मंत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति या संसदीय सचिव के पद पर आसीन न हो ; [2][(झझ) 'परिवार का सदस्य'' का तात्पर्य सभा या परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में, चाहे वह खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नहीं, उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहिन से है जो ऐसे सदस्य के साथ निवास करता हो और उस पर पूर्णतया आश्रित हो;] (ञ) "मंत्री" के अन्तर्गत मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री, और उप मंत्री भी हैं ; (ट) किसी सदस्य के संबंध में, "निवास स्थान" का तात्पर्य उस स्थान से है जिसका किसी सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि की प्रविष्टि के अनुसार सदस्य सामान्यतः निवासी है, और यदि सदस्य ऐसे स्थान में परिवर्तन कर दे तो उत्तर प्रदेश में उस स्थान से है जिसे सदस्य के अनुरोध पर सचिव द्वारा ऐसा स्थान अधिसूचित किया जाय ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2000 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1986 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

		परन्तु कोई ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, निर्वाचन के पश्चात् या इस खंड के अधीन जारी की गई पूर्व अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व जारी नहीं की जायगी ; (ठ) "रेल कूपन" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रेलवे बोर्ड के प्राधिकार से जारी किये गये निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन से है ; (ड) [1][प्रमुख सचिव] का तात्पर्य सभा के सदस्यों के संबंध में सभा के सचिव से है, और परिषद् के सदस्यों के संबंध में, परिषद के [1][प्रमुख सचिव] से है ; (ढ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष से है ; (ण) "वर्ष" का तात्पर्य पहली जून को प्रारम्भ होने वाली और अनुवर्ती इकतीस मई को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि से है।

अध्याय दो

वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

वेतन	3.	(1) सभा के नेता विरोधी दल से भिन्न, प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिये [2][पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास] का वेतन पाने का हकदार होगा। [3][परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य, माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक उपर्युक्त वेतन का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होगा।] (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वेतन का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्— (क) वेतन में अनुपस्थिति या अन्य कारण के आधार पर ऐसो कटौतियां की जा सकेंगी जैसी विहित की जायं ; (ख) किसी सदस्य को उस अवधि के लिए जिसमें वह किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी विनिश्चय के फलस्वरूप, यथास्थिति, सभा वा परिषद् में बैठने के लिए अक्षम हो जायं, कोई वेतन देय नहीं होगा ; (ग) सभा के किसी सदस्य की सभा के गठन के दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिए कोई वेतन देय न होगा ; (घ) परिषद् के किसी सदस्य को उस रिक्ति के जिस रिक्ति के फलस्वरूप वह सदस्य निर्वाचित या नाम निर्देशित हुआ है, दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये कोई वेतन देय न होगा।
निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता	4.	सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में [4][पचास हजार रुपये] प्रति मास का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा। [5][परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य, माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होगा।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2005 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2020 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2020 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय तीन

यात्रा सुविधा

रेल कूपन	5.	[1][(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में किसी पद पर आसीन हो या नहीं, और 01 जून 2015 से [2][चार लाख पच्चीस हजार] प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के मूल्य के रेल कूपन प्रति वर्ष विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिए और [3][अपने परिवार के सदस्यों या अपने सहवर्तियों] के लिए किसी रेल से किसी श्रेणी में किसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जाये, उपयोग में लाये जा सकतें है।] [4][(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूतपूर्व सदस्यों को [5][एक लाख रुपये] प्रति वर्ष से अनधिक मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे जो ऐसे भूतपर्व सदस्यों के द्वारा अपने लिये [6][अपने परिवार के सदस्यों या एक सहवर्ती] के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं और इस उपधारा के अधीन दिये गये रेल कूपनों पर उपधारा (1) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।] स्पष्टीकरण-[7][इस धारा में निर्दिष्ट रेल यात्रा के लिये रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।] [8][परन्तु किसी सदस्य को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके विकल्प पर उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय, जितने वह चाहे,- (क) [9][समान मूल्य के कूपन या किराये की प्रतिपूर्ति] उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी समय वायुयान द्वारा यात्रा के लिये उसे दिये जायेंगे ; और (ख) उसके निजी वाहन के लिये पेट्रोल या डीजल हेतु [10][पच्चीस हजार रुपये] प्रति माह से अनधिक की धनराशि नकद भुगतान की जायेगी। [11][परन्तु यह और कि जब कभी भी [12][वातानुकूलित टू-टायर] के रेल किराये में वृद्धि होगी, राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा रेल कूपन के मूल्य में आनुपातिक वृद्धि कर सकती है।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2015 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 4(क) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 4(क) (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1998 की धारा 4(2) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 4(ख)(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, सन् 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1986 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 2000 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2015 की धारा 4ग(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
10. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 4(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
11. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, सन् 1997 की धारा 3(ख) परन्तुक द्वारा बढ़ाया गया ।
12. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2000 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

		[1][परन्तु यह और कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उपधारा (2) के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से किसी भी समय वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए उसके विकल्प पर समान मूल्य के कूपन दिये जायेंगे।] [2][(2) परन्तु यह भी कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उसको दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके निजी वाहन के लिये पेट्रोल या डीजल हेतु पचास हजार रुपये से अनधिक वार्षिक की धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।]
	6.	[3][***]
सहवर्ती के साथ यात्रा	7.	किसी सदस्य द्वारा अपने साथ रेल यात्रा में [4][***] में निम्नलिखित दशाओं में एक सहवर्ती ले जाने के लिये भी धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्- (क) यथास्थिति, सभा या परिषद के प्रत्येक सत्र में, अधिक से अधिक दो बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए ; (ख) किसी महिला सदस्य की स्थिति में, ऐसी यात्रा के लिए जो उसके द्वारा ऐसा सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों और कृत्यों के संबंध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए और ऐसी उपस्थिति के पश्चात् अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की जाय।
	8.	[5][***]
मंत्री, अध्यक्ष आदि द्वारा यात्रा	9.	[6][धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का उपयोग प्रत्येक सदस्य द्वारा जो धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन है, अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यो के लिए शासकीय कर्तव्यों के पालन से भिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी भी समय किसी रेल द्वारा किसी श्रेणी में यात्रा के लिए विहित रीति से किया जा सकता है।]
रेल कूपनों की विधिमान्यता	10.	इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रेल कूपन ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और प्रत्येक अप्रयुक्त कूपन सचिव को, ऐसी रीति से लौटा दिया जायगा जो विहित की जाय।
	11.	[7][***]
	12.	[8][***]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 07, सन् 2006 की धारा 2(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 4(ख)(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1986 की धारा 5 द्वारा निकाला गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1986 की धारा 6 द्वारा निकाला गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1986 की धारा 7 द्वारा निकाला गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1986 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1986 की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1986 की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।

बस द्वारा यात्रा	13.	[1][(1) प्रत्येक सदस्य, जब वह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से, जिसके अन्तर्गत वातानूकूलित या डीलक्स बस भी है, उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करता है, और उसका टिकट प्रस्तुत करता है, तब उसे ऐसे टिकट की धनराशि का भुगतान प्रमुख सचिव द्वारा किया जायेगा। (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है। (3) प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना किसी भी समय उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिये विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस-पास का भी हकदार होगा। परन्तु यह कि यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वातानुकूलित या डीलक्स बस में यात्रा करता है तो उसे किराये की अधिक धनराशि का वहन स्वयं करना होगा। (4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट पास का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है।]

अध्याय चार

आनुषंगिक व्यय और दैनिक भत्ता

आनुषंगिक व्यय	14.	प्रत्येक सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के संबंध में अपनी उपस्थिति के लिये ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जायं, निम्नलिखित दशाओं में आनुषंगिक व्यय देय होगा, अर्थात्- (क) यथास्थिति, सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति के किसी उपवेशन में उपस्थित होने के लिए किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार, केवल उपवेशन के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्रा के लिये ; परन्तु यदि कोई सदस्य एक ही कलेण्डर मास में दो या अधिक समितियों के उपवेशन में भाग लेता है तो इस खण्ड के अधीन आनुषंगिक व्यय किसी भी दशा में ऐसे मास में चार से अधिक बार देय नहीं होगा ; (ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलाई गई किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिये और अपने निवास-स्थान को वापस जाने के लिए की गई यात्रा के लिए ; (ग) समिति के ऐसे कार्य के संबंध में, जो समिति की बैठक से भिन्न हो, किसी समिति के सभापति के रूप में, उसके द्वारा किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार लखनऊ आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गई यात्राओं के लिये ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2005 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

		[1][(घ) संवैधानिक अध्ययन या किसी सेमिनार या पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति या किसी अन्य राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या, यथास्थिति, विधान परिषद् के सभापति द्वारा या उसके प्राधिकार से या भारतीय संसदीय अध्ययन संस्थान के द्वारा बुलायी गयी या किसी अन्य प्रकार से आयोजित किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये की गयी यात्राओं के लिये ; परन्तु ऐसा सदस्य धारा 2 के खण्ड (ढ) में यथा परिभाषित अध्यक्ष या उक्त धारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सभापति द्वारा ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया हो ; परन्तु यह और कि ऐसी किसी बैठक में भाग लेने के लिये [2][पांच से अधिक सदस्य] नाम-निर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे और कोई ऐसा नाम-निर्देशन एक वर्ष में दो बार से अधिक के लिये नहीं किया जायगा।]
दैनिक भत्ता	15.	[3][(1)] [4][प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो] [5][दो हजार रुपये] प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता का हकदार हकदार होगा जिसकी संगणना निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार की जायगी, अर्थात्- (एक) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के सत्र के दौरान, या उसकी किसी समिति के किन्हीं उपवेशनों में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिये देय होगा ; (दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिए भी देय होगा यदि सदस्य, उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो ; (तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के या उसकी समिति के किसी लगातार उपवेशन के दौरान स्थगन के दिनों के लिये, और ऐसे लगातार उपवेशनों के बीच में पड़ने वाली छुट्टी के दिनों के लिए भी देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो ; (चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिये भी देय होगा जो सभा या परिषद के या उसकी समिति के किसी उपवेशन के अन्तिम दिन और उसी या किसी अन्य समिति के या सभा या परिषद के उपवेशन के प्रथम दिन के बीच पड़े, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपेवशन के स्थान पर उपस्थित हो; (पांच) जहां खण्ड (तीन) या खण्ड (चार) के अधीन आने वाली किसी स्थिति में कोई सदस्य उपवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाय, वहां वह, धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता का, या धारा 14 के अनुसार आनुषंगिक व्यय का, इनमें जो भी कम हो, हकदार होगा ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1984 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2004 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1994 की धारा 3(क) द्वारा पुनःसंख्यांकित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1986 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 5(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

		[1][(पांच-क) उक्त भत्ता किसी सदस्य को किसी समिति के सभापति के रूप में समिति की बैठक से भिन्न ऐसी समिति के कार्य के सम्बन्ध में भी लखनऊ आने पर, यदि इस धारा के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसे कोई ऐसा भत्ता अन्यथा देय नहीं है, देय होगा, परन्तु कोई ऐसा भत्ता एक कलेन्डर मास में अधिक से अधिक दो बार आने पर और एक बार के लिये अधिक से अधिक दो दिन के लिये देय होगा। (पांच-ख) उक्त भत्ता धारा 14 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी बैठक, सेमीनार या अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थिति के लिये भी देय होगा।] (पांच-खख) [2][* * *] (पांच-ग) [2][* * *] (छः) [3][* * *] स्पष्टीकरणः- इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी उपवेशन को लगातार समझा जायगा यदि किसी बैठक के अन्तिम दिन और दूसरी बैठक के प्रथम दिन के बीच दिनों की संख्या चार से अधिक न हो। [4][(2) प्रत्येक सदस्य उन दिनों के लिए भी जिनमें वह जनसेवा के कार्यो के लिए लिए दौरा करें और जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन भत्ता या आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न हो या न हो सकता हो, [5][एक हजार पांच सौ रूपये] प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होगा। (3) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य और नेता विरोधी दल को उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, प्रत्येक दिन के लिए [6][आठ सौ रूपये] प्रतिदिन की की दर से दैनिक भत्ता देय होगा, सिवाय उन दिनों के जिनके लिए वह उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता का दावा करे।]

[7][अध्याय चार-क

सचिवीय भत्ता

सचिवीय भत्ता	15.	क- सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, जिसमें नेता विरोधी दल भी सम्मिलित हैं, अपनी सदस्यता की अवधि में या, यथास्थिति, अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, [8][बीस हजार रूपये] प्रतिमास की दर पर सचिवीय भत्ता पाने का हकदार होगा। [9][परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक उपर्युक्त सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिये हकदार होगा।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1984 की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1994 की धारा 3 (क)(2) द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1986 की धारा 2(ग) द्वारा निकाला गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1994 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 5(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, सन् 2015 की धारा 5(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, सन् 1997 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2020 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय पांच

सदस्यों के लिये आवास व्यवस्था

लखनऊ में आवास व्यवस्था	16.	(1) प्रत्येक सदस्य (जिसके अन्तर्गत संसदीय सचिव भी है) अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रतर अवधि जैसी विहित की जाय, के लिए लखनऊ में ऐसे आवास का किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा जिसकी उसके लिए व्यवस्था की जाय। [1][(1-क) प्रत्येक सदस्य जिसके उपयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन लखनऊ में आवास की व्यवस्था की गयी हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे आवास को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।] स्पष्टीकरणः- इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'सदस्य' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो सदस्य न रह गया हो। (2) जहां किसी सदस्य को [2][* * *] किसी आवास की व्यवस्था न की गयी हो, वहां वह [3][तीन सौ रूपये प्रति मास की दर से] आवास भत्ता पाने का हकदार होगा। (3) [4][* * *] स्पष्टीकरणः- किसी सदस्य को आवास की व्यवस्था उस दिनांक को की गई समझी जायगी जब उसके पक्ष में उसे प्रदिष्ट करने की सूचना उसे दे दी जाय चाहे ऐसा सदस्य प्रदेशन को स्वीकार करे या न करे या आवास पर अध्यासन करे या न करे।
कतिपय आवासों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	16-क-	[5][(1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से राज्य सरकार धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को समय पर आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन विधायक निवास संख्या-1, ए-ब्लाक, दारूलशफा, विधायक निवास संख्या-2, बी-ब्लाक, दारूलशफा, विधायक निवास संख्या-3, ओ0सी0आर0, विधायक निवास संख्या-4, रायल होटल, विधायक निवास संख्या-5, मीराबाई मार्ग, विधायक निवास संख्या-6, पार्क रोड, नामक कालोनी या भवन में किसी आवास को विधायक आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल सदस्य को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायेगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1990 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1984 की धारा 2 (क) (1) द्वारा निकाला गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1984 की धारा 2 (क) (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2013 की धारा 4 द्वारा हटाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 1997 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

		(2) यदि धारा 16 को उपधारा (1-क) के निर्दिष्ट सदस्य के भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन विधायक आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस को उस पर तामील किए जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।
आवास-व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम	17.	(1) धारा 16 के अधीन आवास के प्रवेशन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है जिसमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जायगी, अर्थात्- (क) आवास का, जिसके लिए कोई सदस्य हकदार होगा, मानक निर्धारित करना ; (ख) ऐसा मानक नियत करना जिसके अनुसार प्रत्येक ऐसा आवास सुसज्जित किया जायगा ; (ग) [1][किसी] ऐसे आवास का मानक किराया नियत करना ; (घ) [2][* * *] (ङ) राज्य सरकार द्वारा समस्त व्यय का जिसके अन्तर्गत विद्युत और जल का व्यय भी है, भुगतान किये जाने के लिये और ऐसे आवास में जल और विद्युत् के सम्भरण को विनियमित करने के लिए उपबन्ध बनाना। (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम उन सदस्यों के सम्बन्ध में भी बनाये जा सकते है जो धारा 2 के खण्ड (स) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हों।

[3][अध्याय पाँच-क

सदस्यों के लिए ऋण की व्यवस्था

सदस्यों की अग्रिम	17-क-	राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य है, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, या जो सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो, या तो निवास-स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिये या वाहन-क्रय करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अनुसार जैसी विहित की जाय, [4][दो लाख रूपये से अनधिक] प्रतिसंदेय अग्रिम स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है।] [5][परन्तु यह कि यदि किसी ऐसे सदस्य को एक प्रयोजन के लिये स्वीकृत किया गया अग्रिम और उस पर देय ब्याज प्रतिसंदत्त कर दिया गया हो तो उस सदस्य को दूसरे प्रयोजन के लिये भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1984 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1984 की धारा 3 (ख) द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1986 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, सन् 1997 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2000 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय छः

टेलीफोन की सुविधा

सदस्यों को टेलीफोन	18.	प्रत्येक सदस्य लखनऊ में और अपने सामान्य निवास पर या अपने निर्वाचन क्षेत्र में [1][टेलीफोन और मोबाइल फोन संबंधी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा, जैसी विहित की जायं।]

[2][अध्याय छः-क

चिकित्सा सुविधायें

चिकित्सा सुविधायें	18-क-	सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या नहीं, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जाएं, निम्नलिखित का हकदार होगा अर्थात् :- (क) राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली वाह्य चिकित्सा और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी है, [3][तीस हजार रुपये] प्रतिमास की धनराशि का दिया जाना ; (ख) ऐसे अस्पताल में अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिये भर्ती करना अपेक्षित हो, निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाना।]

अध्याय सात

नेता विरोधी दल को सुविधायें

नेता विरोधी दल को वेतन, आवास, सवारी तथा अन्य सुविधायें	19.	[4][नेता विरोधी दल, ऐसे वेतन, अवास, सवारी तथा ऐसे अन्य सुविधायें पाने का हकदार होगा जो मंत्री परिषद के किसी सदस्य को उत्तर प्रदेश मंत्री, (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन अनुमन्य है और उक्त धाराओं के और उनसे सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मंत्री परिषद के किसी सदस्य के सम्बन्ध में लागू होते हैं।
	20.	[5][* * *]
	21.	[5][* * *]
	21-क-	[5][* * *]
	22.	[5][* * *]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, सन् 2006 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, सन् 1986 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, सन् 1989 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, सन् 1989 की धारा 5 द्वारा निकाला गया ।

अध्याय आठ

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

-	23.	इस अध्याय के प्रयोजनार्थ- [1][(क) पद "सभा" या "परिषद्" के अन्तर्गत क्रमशः यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली या यूनाइटेड प्रोविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल भी है- (एक) जिसने इस रूप में इंडियन इंडिपेन्डेन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् कार्य किया ; या (दो) जिसने "भारत का संविधान" के अधीन राज्य के लिये अस्थायी विधान मण्डल के रूप में कार्य किया।] (ख) पद "वर्ष" का तात्पर्य बारह कलेण्डर मास की किसी अवधि से है ; (ग) जिस अवधि में कोई व्यक्ति सभा या परिषद् में अपनी सदस्यता के आधार पर धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन रहा हो, उस अवधि की भी गणना ऐसी सदस्यता की अवधि अवधारित करने के लिये की जायगी।
भूतपूर्व सदस्य को पेंशन	24.	[2][(1)प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिये कार्य किया हो, अपने जीवन-पर्यन्त [3][पच्चीस हजार रूपये] प्रतिमास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा ; परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये कार्य किया हो, वहाँ वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये [4][दो हजार रूपये] प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा।] [5][परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिए की जायेगी जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो।] [6][स्पष्टीकरण-जहां किसी व्यक्ति ने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में छः माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिए कार्य किया हो वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है।] [7][(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसी पेंशन के साथ-साथ उपधारा (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार होगा।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, सन् 1984 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 04, सन् 1997 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, सन् 2016 की धारा 8 प्रथम परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, सन् 2004 की धारा 9 (ग) परन्तुक द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, सन् 2004 की धारा 9 (घ) स्पष्टीकरण द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, सन् 1998 की धारा 9 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

कतिपय व्यक्तियों को देय पेंशन की शर्ते	24 - क-	[1][जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पेंशन या अतिरिक्त पेंशन का इस आधार पर हकदार हो जाता है कि उसने पहली जनवरी, 1946 के पूर्व गठित या विद्यमान सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां, यथास्थिति, ऐसी पेंशन या अतिरिक्त पेंशन ऐसे व्यक्ति को दिनांक पहली जनवरी, 1977 से देय समझी जायगी।]
पेंशन कब देय नहीं होगी	25.	धारा 24 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थिति में इस अध्याय के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार न होगा, अर्थात्:- (क) [2][****] (ख) जहां कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन सवेतन नियोजित हो या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्यथा हकदार हो जाय, और ऐसा वेतन या पारिश्रमिकं प्रतिमास [3][धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि] के बराबर या इससे अधिक हो और वह इस प्रकार नियोजित या ऐसा पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहे ; (ग) [4][****] (घ) जहां कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाय या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाय और ऐसे पद पर आसीन रहे ; (ङ) जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के या संसद् के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा सदस्य बना रहे ; [5][(च) जहां कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न रह जाय।]
कतिपय मामलों में पेंशन की धनराशि	26.	जहां धारा 25 के [6][खण्ड (ख)] में उल्लिखित परिस्थितियों में, कोई व्यक्ति [7][धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि] प्रतिमास से कम धनराशि की कोई पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक का हकदार हो, वहां धारा 24 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन उतनी धनराशि से अधिक नहीं होगी जितनी से ऐसी पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक [7][धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि] प्रतिमास से कम पड़ती हो।
मृत सदस्यों के आश्रितों को वित्तीय सहायता	26 - क-	[8][(1) यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की पारिवारिक मृत्यु हो जाय, तो [9][मृत्यु के समय दिवंगत सदस्य को अन्यथा अनुमन्य पेंशन या [10][पच्चीस हजार रुपये] की पेंशन, जो भी अधिक हो] की पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, सन् 1984 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, सन् 1998 की धारा 10 द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 04, सन् 1997 की धारा 8 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, सन् 1998 की धारा 10 द्वारा निकाला गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, सन् 1991 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, सन् 1998 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 04, सन् 1997 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, सन् 2010 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, सन् 2015 की धारा 9 क द्वारा प्रतिस्थापित।
10. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, सन् 2023 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

		(2) यदि भूतपूर्व सदस्य, [1][***] की मृत्यु हो जाय, तो [2][मृत्यु के समय ऐसे पूर्व सदस्य की पेंशन या [3][रूपये पच्चीस हजार] की पेंशन जो भी अधिक हो की पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा। परन्तु यह कि यदि पति/पत्नी धारा 3 के अन्तर्गत वेतन अथवा धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी पेंशन का हकदार हो, तो वह उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा। [4][(3) उपधारा (1) और उपधारा (2), ऐसे पति/पत्नी जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरम्भ के दिनांक को जीवित हैं, पर भी लागू होगी।]

अध्याय नौ

प्रकीर्ण

वेतन आदि का त्याग	27.	कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन, भत्ता वा अन्य सुविधाओं का हकदार है, ऐसे सम्पूर्ण वेतन, भत्ता या सुविधा या उसके किसी भाग को, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर त्याग सकता है ; परन्तु ऐसे किसी त्यजन को, वह किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर भविष्यलक्षी प्रभाव से रद्द कर सकता है।
सदस्यों के वेतन बिल से सरकारी और अन्य देयों की वसूली	28.	[5][(1) जब कभी किसी सदस्य पर किसी सरकारी देय (जैसे आवास किराया या प्रभार, टेलीफोन देय, इत्यादि) के बकाया होने की सूचना दी जाय और उसके समर्थन में सम्बद्ध प्राधिकारी से समुचित मांग या बिल प्राप्त हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देय का भुगतान न करे, तब ऐसे देय के बराबर धनराशि या जहां सरकार द्वारा किसी सदस्य को प्रतिसंदेय अग्रिम की व्यवस्था की गयी हो, वहां ऐसे सदस्य द्वारा देय ऐसे अग्रिम या उसकी किसी किस्त के बराबर धनराशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, सचिव द्वारा ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक या प्रतिकर आवास या किसी अन्य भत्ता बिल से काट ली जायगी। (1-क) ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जो सदस्य न रह जाय या जो उस समय सदस्य न हो, जब उसे सरकार द्वारा कोई प्रतिसंदेय अग्रिम दिया गया हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट धनराशि ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन देय पेंशन की धनराशि या किसी अन्य धनराशि से काट ली जायगी।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, सन् 2015 की धारा 9 ख द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, सन् 2015 की धारा 9 ख द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, सन् 2023 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, सन् 2015 की धारा 9 ग द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, सन् 1986 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

		[1][परन्तु यह कि यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी सरकारी धन का बकाया हो, चाहे वह उसके सदस्य रहने के अवधि का हो या उसके सदस्य न रह जाने के अवधि का हो तो उसकी कटौती ऐसे व्यक्ति के पेंशन से की जा सकेगी।] (2) साधारणतया किसी सदस्य पर बकाया किन्हीं गैर सरकारी देयों की वसूली उसके वेतन या भत्तों से नहीं की जायगी किन्तु जहां ऐसी देय धनराशि उसके संसदीय कर्तव्यों के दौरान उसको दी गई किन्हीं सेवाओं के कारण हो, जैसे जब वह किसी समिति के साथ दौरे पर हो, और ऐसी सेवाओं के लिए व्यवस्था राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों के अनुरोध पर अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं या निजी पार्टियों द्वारा या उनके अनुरोध पर की गई हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देयों का भुगतान नहीं करता है, वहां उसकी वसूली ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक भत्ता बिलों से की जा सकती है।
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	29.	(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई, विशेष रूप से धारा 91 द्वारा निरसित अधिनियमिति के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित प्रदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि में, जैसी प्रदेश में विनिर्दिष्ट की जाय ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे ; परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा। (2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनो के समक्ष रखा जायगा । (3) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था ।
नियम बनाने की शक्ति	30.	(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। (2) धारा 31 द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें निरसित न कर दिया जाय।
निरसन	31.	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, सन् 2005 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।